

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2021
306

सहायक कलेक्टर (नियम-26)

अज अदालत

(S.D.O.) बालोतरा

नियम

कासम खान

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा





88,

नं

109

सन्

2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-8-21	<p>वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री..... जयदीन मेहर ने अन्तर्गत धारा 88, RTA का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक 29.10.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p>	
29-10-21	<p>वादी के वकील कासम खान के द्वारा पत्रावली आदिवादा प्रमाण गानों के संग डिक्लेराट केमप कोर्ट, जवाहरपुरा के पेश की</p> <p style="text-align: center;">  (नरेंद्र सिंग) डी.एम.ओ. अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा, प्रशासन गानों के संग अनियान 2021 केमप, ग्राम पंचायत, प.स. </p>	<p style="text-align: right;">  कासम खान खियन सरपंच ग्राम पंचायत जवाहरपुरा बं स पावोदी (बाड़मेर) </p>
16-11-21	<p>पत्रावली प्रमाण गानों के संग डिक्लेराट केमप कोर्ट जवाहरपुरा के पेश हुई। सरपंच ग्राम पंचायत व वरिष्ठतरा पंचायत का वादी व वरिष्ठतरा पंचायत के संग गाना, वादी ने वाजब नरेंद्र सिंग</p> <p style="text-align: center;">  डी.एम.ओ. अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा, प्रशासन गानों के संग अनियान 2021 प.स. </p>	



तारीख
हुक्म

~~रेकॉर्ड के जे. उ. ग्रामखान दर्ज
है लेकिन जोके पर कश्मिलान के
इए है, जिसे हुकस्ती करने का
निवेदन किया गया।~~

~~तहसीलदार, पंचपाड़ा ने इसमें
कोई आपत्ति नहीं देना जाहिर
किया।~~

~~राजी के बाद के खीकाट के
गणनेहकनगा के खसरा नम्बर
1144 खसरा 6-18 बीघा बूटि के~~

~~किल्म जे. उ. ग्रामखान के स्थान
पर जे. उ. कश्मिलान हुकस्ती की
जाती है। तहसीलदार पंचपाड़ा~~

~~तहसीलदार हुकस्ती करना सुझाव
करके पंचपाड़ी मैजल स्टुमाल केक
नम्बर के कर है।~~

~~निर्णय मजमें जाग के कोर्ट केम्य
जवाहरपुरा के सुनाया गया।~~



निदेशा सुनी
पीपरीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी प्रदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कंप्य ग्राम पंचपाड़ा पस